भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल – 17

:Phone 2661263,2737446 **Fax**: 2661263 **Website**:bsgmp.net **E_mail**:scoutguide_bpl@dataone.in

क्र0 / 2992 / रा0मु0 / परि. / 363 / 2011 भोपाल, दिनांक 17.08.2011

प्रति,

सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड)

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

क्षेत्रीय कार्यालय ....

विषयः– जन जागरण शिविरो का आयोजन सत्र 2010–11

–––000–––

भारत सरकार द्वारा अनुसूचति जाति एव अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के निवारण हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम वर्ष 1989 मे बनाया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचति जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 बनाये गये है जिसमें पीडित व्यक्तियों को राहत के साथ ही पुर्नवास का प्रावधान भी किया गया है।

म.प्र. शासन आयुक्त अनुसूचित जाति विकास द्वारा परिलक्षित क्षेत्र के ग्रामों एवं अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य ग्रामों में अत्याचार निवारण अधिनियम एवं नियम के प्रचार–प्रसार तथा दी जाने वाली सहायता की जानकारी देने के लिये जन जागरण शिविर आयोजित करने का दायित्व भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.को सौपा गया है। यह जन जागरण शिविर आपके संभाग में **सलग्न सूची अनुसार** आयोजित किये जाना है।

जन जागरण शिविर आयोजित करते समय निम्न बिन्दुओ का ध्यान रखा जाये ।

1. सूची में दर्शाये अनुसार ग्राम / शहर / कस्बा मे ही शिविर आयोजित किया जायेगा ।
2. निर्धारित थाना क्षेत्र जो सूची में दर्शाये गये है के ग्राम मे ही शिविर आयोजित किया जायेगा ।
3. जिस संस्था द्वारां गत वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 मे जन जागरण शिविर का आयोजन किया गया था उस संस्था के अलावा अन्य संस्था द्वारा इस वर्ष शिविर आयोजित किया जाये, यदि अन्य संस्था उस ग्राम / कस्बा में संचालित है।
4. संस्था से निर्धारित बिन्दुओ पर प्रतिवेदन प्राप्त कर फोटो एवं समाचार पत्र की पेपर कंटिग सहित प्रतिवेदन इस कार्यालय को तत्काल भेजा जावे तथा इस कार्यालय द्वारा निर्देश दिये जाने पर ही भुगतान किया जावे ।
5. शिविर के आयोजन मे संलग्न कार्यक्रम की रूपरेखा को ध्यान रखा जावे ।

आपके संभाग में संलग्न सूची अनुसार शिविर आयोजित किये जाना है जिसके लिये राशि अलग से भेजी जा रही है। यह सुनिश्चित करे कि जिलो में सितम्बर 2011 तक शिविर आयोजित कर निर्धारित प्रारूप में **राज्य मुख्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायें ।**

कार्यक्रम की रूपरेखा :–

1. **जन जाग्रति हेतु रैली का आयोजन :–**

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

ग्राम में रैली निकालकर नारे लगाते हुए, ग्राम का भ्रमण कराया जाए इसके लिए स्काउट गाइड अपने यूनिफार्म में रहेंगे साथ ही शाला के अन्य छात्र–छात्राऐं सामान्य वेशभूषा में रहेंगे। छात्र–छात्राओं के हाथ में बैनर तथा लिखे हुए नारे भी रहेंगे ।

2. **संगोष्ठी का आयोजन :–**

शाला में ग्रामीणों को आमंत्रित कर संगोष्ठी में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की जानकारी देते हुए पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी साथ ही अत्याचार के दुष्परिणामों की जानकारी भी दी जायेगी

3. **शिविर में किसे आमंत्रित किया जाएगा :–**

(अ) **जनप्रतिनिधि** –सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष/सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य, ग्राम पंचायत के संरपंच/सदस्य ।

(ब) **अधिकारी –** जिला स्तर के अधिकारी/विकास खण्ड स्तर के अधिकारी तथा स्थानीय अधिकारी ।

(स) **ग्रामीण/स्थानीय** ग्रामवासी एवं आस–पास के ग्रामवासी ।

(द) **संस्था प्रमुख** – स्थानीय शालाओ के शाला प्रमुख/शिक्षक।

(य) **बालक/बालिकाऐं** – संस्थाओं के बालक/बालिकाऐं।

(फ) **पदाधिकारी** – शाला समिति के पदाधिकारी व स्काउट एवं गाइड पदाधिकारी।

4. **पोस्टर :–**

पम्फलेट व हैण्ड बिल जिनमें पीड़ित परिवार को मिलने वाली सुविधा का उल्लेख रहेगा, वितरित किए जाएंगे तथा ग्राम में पोस्टर लगाए जाऐंगे ।

5. **प्रतिवेदन :–**

1. प्रतिवेदन विस्तृत होना चाहिऐं।
2. प्रतिवेदन में ग्राम, थाना क्षेत्र व जिले एवं सामिल स्काउट–गाइड की संख्या का भी उल्लेख होना चाहिए।
3. रैली किन–किन क्षेत्रों से निकली उसका उल्लेख प्रतिवेदन में होना चाहिए।
4. संगोष्ठी में वक्ताओं द्वारा क्या विचार व्यक्त किए गये इसका पूरा विवरण प्रतिवेदन में उल्लेख होना चाहिए।
5. प्रतिवेदन के साथ रैली व संगोष्ठी के फोटोग्राफ तथा समाचार पत्रो की कतरन संलग्न की जायें।

स्काउट एवं गाइड राज्य मुख्यालय से 3500/– रू प्रति शिविर/संस्था के मान राशि संस्था को आपके माध्यम से भुगतान की जायेगी। यह राशि संस्था के स्काउट एवं गाइड निधि खाते में जमा की जायेंगी तथा राशि का उपयोग स्काउट/गाइड गतिविधि के संचालन, अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रचार–प्रसार करने तथा जनजाग्रति शिविर के आयोजन हेतु किया जा सकेगा।

सलंग्नः– **निर्धारित सूची एवं एवं प्रतिवेदन प्रारूप**

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं नियम के प्रचार प्रसार हेतु जन जागरण

वर्ष 2010 11 की शेष रैलीयो का आयोजन

Ø-	संभाग	क्र.	जिला	थाना क्षेत्र	ग्राम/कस्बा
01	**मुरैना**	1	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर
		2	मुरैना	मुरैना	मुरैना
		3	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड
2	ग्वालियर	4	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार
		5	शिवपुरी	कोलारस	कोलारस
		6	गुना	आरोन	आरोन
		7	अशोकनगर	शाढौरा	शाढौरा
03	उज्जैन	8	देवास	पिपलरवा	पिपलरवा
		9	शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर
		10	उज्जैन	महीदपुर	महीदपुर
		11	मंदसौर	मंदसौर	मंदसौर
04	इन्दौर	12	इंदौर	देपालपुर	देपालपुर
		13	बड़वानी	निवाली	निवाली
		14	धार	धरमपुरी	धरमपुरी
05	भोपाल	15	भोपाल	बैरसिया	बैरसिया
		16	सिहोर	बुद्यनी	बुद्यनी
		17	राजगढ़	जीरापुर	जीरापुर
		18	रायसेन	गैरतगंज	गैरतगंज
		19	विदिशा	ग्यारसपुर	ग्यारसपुर
06	होशंगाबाद	20	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर
		21	होशंगाबाद	इटारसी	इटारसी
07	सागर	22	सागर	बीना	बीना
08	जबलपुर	23	जबलपुर	सिहोरा	सिहोरा
		24	बालाघाट	बारासिवनी	बारासिवनी
		25	छिंदवाड़ा	चौरई	चौरई
09	शहडोल	26	शहडोल	व्योहारी	व्योहारी
10	रीवा	27	रीवा	हनुमंना	हनुमंना
		28	सीधी	सिहांवल	सिहांवल

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com